उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2
संख्या-1/2018/आडिट-2-759/दस-2018-352(3)/17
लखनऊ दिनॉक 31 मई, 2018

कार्यालय आदेश

निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के आदेश संख्या-अधि0/2016-17/क-18, दिनांक 30.06.16 द्वारा श्री उदय कुमार, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0 प्र0 को प्रतिनियुक्ति पर लेखाधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के पद पर तैनात किया गया था। निदेशक के आदेश संख्या-अधि./क-01(1 से 14 तक) दिनांक 20.04.18 द्वारा श्री उदय कुमार का स्थानांतरण जिला लेखा परीक्षा अधिकारी बहराइच के पद पर करते हुए तैनात किया गया है।

2- कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या- वी0सी0/163/018, दिनांक 17.05.2018 द्वारा विश्वविद्यालय हित में श्री उदय कुमार का स्थानान्तरण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। वित्त अधिकारी लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा भी अपने पत्रांक-832/एफ0ओ0, दिनांक 25.05.2018 के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारी के निष्ठापूर्वक कार्य सम्पादन को ध्यान में रखते हुए उनके स्थानान्तरण को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को अवमुक्त भी नही किया गया है।

3- अतएव उक्त वर्णित स्थिति में श्री उदय कुमार लेखाधिकारी लखनऊ विश्वविद्यालय का जिला लेखा परीक्षा अधिकारी बहराइच के पद पर किया गया स्थानान्तरण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

अजय कुमार शुक्ला
सचिव।

संख्या-आडिट-2-759(1)/दस-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रो0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 17.05.18 के क्रम में।
3- निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0 प्र0 इलाहाबाद।
4- श्री एस0 डी0 मौर्य, वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ।
5- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी लखनऊ।
6- संबंधित अधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।